

न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला-जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 02/2020

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. पारस वल्द भोमराजजी जाति ओसवाल (जैन) साकिन कागमाला तहसील रानीवाडा	1. माणकचंद पुत्र भोमराजजी ओसवाल
2. मृतक अभयकुमार वल्द भोमराजजी जाति ओसवाल (जैन) के वारीसान 2/1 संजीवनी पत्नि अभयकुमार ओसवाल	2. चेतन पुत्र माणकचंद ओसवाल
2/2 सचिन पुत्र अभयकुमार ओसवाल	3. कल्पेश पुत्र माणकचंद ओसवाल तमाम जातियान ओसवाल (जैन) निवासीयान कागमाला तहसील रानीवाडा जिला जालोर (राज.)
2/3 विकेश पुत्र अभयकुमार ओसवाल तमाम जातियान ओसवाल (जैन) साकिनान कागमाला तहसील रानीवाडा जिला जालोर (राज.)	4. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 88, 53 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. वदीगण अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित ।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया ।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा ।

—: निर्णय :-

दिनांक 16.08.2021

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा पेश ईकबालिया जवाब व दस्तावेज के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया। तथा वादग्रस्त आराजी मौजा कागमाला पटवार हल्का कागमाला तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 161, 162, 163 रकबा क्रमश 0.72, 0.34, 0.29 जूमले रकबा 1.35 हेक्टेयर में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2/1 से 2/3 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को 1/3 हिस्सा खातेदारी घोषणा कर इसी माफिक दिनांक 02.08.2021 को प्राथमिक डिक्री का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुसार तहसीलदार रानीवाडा से न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2021/610 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवाडा प्रस्तावित कर पत्रांक राजस्व/2021/721 दिनांक 10.08.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।



तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को पढकर सुनाया गया । दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की गई व आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये गए। अतः तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र.स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित नाम)	लगान राशि
1.	सचिन पुत्र अभयकुमार, विकेशकुमार पुत्र अभयकुमार, संजीवनी पत्नि अभयकुमार ओसवाल सा. कागमाला खातेदार	161	0.72	0.45	बारानी प्रथम	आस मानी	1.80
	कुल	1	—	0.45	—	—	1.80
2.	चेतन पुत्र माणकचंद, कल्पेश पुत्र माणकचंद, ओसवाल कौम जैन सा. कागमाला खातेदार	161	0.72	0.27	बा.प्र.	गुलाबी	1.08
		162	0.34	0.09	बा.प्र.		0.36
		163	0.29	0.09	बा.प्र.		0.36
	कुल	3	—	0.45	—	—	1.80
3.	पारस पुत्र भोमराज ओसवाल जैन सा. कागमाला खातेदार	162	0.34	0.25	बा.प्र.	केंस रिया	1.00
		163	0.29	0.20	बा.प्र.		0.80
	कुल	2	—	0.45			1.80

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेशित किया जाता है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)

सहायक कलेक्टर

रानीवाडा जिला

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

रानीवाडा जिला—जालोर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पारस वल्द भोमराजजी जाति ओसवाल (जैन) साकिन कागमाला तहसील रानीवाडा 2. मृतक अभयकुमार वल्द भोमराजजी जाति ओसवाल (जैन) के वारीसान 2/1 संजीवनी पत्नि अभयकुमार ओसवाल 2/2 सचिन पुत्र अभयकुमार ओसवाल 2/3 विकेश पुत्र अभयकुमार ओसवाल तमाम जातियान ओसवाल (जैन) साकिनान कागमाला तहसील रानीवाडा जिला जालोर (राज.)		1. माणकचंद पुत्र भोमराजजी ओसवाल 2. चेतन पुत्र माणकचंद ओसवाल 3. कल्पेश पुत्र माणकचंद ओसवाल तमाम जातियान ओसवाल (जैन) निवासीयान कागमाला तहसील रानीवाडा जिला जालोर (राज.) 4. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 88, 53 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 02/2020

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री जबराराम पुरोहित उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक वकील श्री अमृत कटारिया उपस्थित प्रतिवादी संख्या 4 राजपेरोकार उपस्थित, मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाडा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र.स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेस में अंकित नाम)	लगान राशि
1.	सचिन पुत्र अभयकुमार, विकेशकुमार पुत्र अभयकुमार, संजीवनी पत्नि अभयकुमार ओसवाल सा. कागमाला खातेदार	161	0.72	0.45	बारानी प्रथम	आस मानी	1.80
	कुल	1	—	0.45	—	—	1.80

2.	चेतन पुत्र माणकचंद, कल्पेश पुत्र माणकचंद, ओसवाल कौम जैन सा. कागमाला खातेदार	161	0.72	0.27	बा.प्र.	गुलाबी	1.08
		162	0.34	0.09	बा.प्र.		0.36
		163	0.29	0.09	बा.प्र.		0.36
	कुल	3	—	0.45	—	—	1.80
3.	परस पुत्र भोमराज ओसवाल जैन सा. कागमाला खातेदार	162	0.34	0.25	बा.प्र.	केंस रिया	1.00
		163	0.29	0.20	बा.प्र.		0.80
	कुल	2	—	0.45			1.80

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16.08.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला—जालोर

मुद्द्ई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्जर	0	00	फीस कमीष्जर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	1	00